जनपद - संतकबीरनगर प्रेस विज्ञप्ति दिनॉक 13.04.2024

थाना महुली पुलिस द्वारा जानलेवा हमला करने के मामले से संबंधित फरार 01 अभियुक्त के विरुद्ध की गयी धारा 82 सीआरपीसी की कार्यवाही

आज दिनांक 13.04.2024 को थाना महुली पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 291/2023 धारा 363/366/376 भा0द0वि0 व 5/6 पाक्सो एक्ट में फरार अभियुक्त **विवेक चौहान पुत्र मुराली चौहान निवासी ग्राम काली जगदीशपुर थाना महुली जनपद संतकबीरनगर** के विरुद्ध 82 सीआरपीसी की कार्यवाही की गयी। थाना महुली पर पंजीकृत उक्त अभियोग में अभियुक्त फरार चल रहा हैं तथा अभी तक माननीय न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ हैं। जिस पर प्रभारी निरीक्षक थाना महुली श्री सतीश कुमार सिंह मय टीम द्वारा माननीय न्यायालय के आदेश के क्रम में धारा 82 सीआरपीसी के तहत उद्घोषणा की गयी तथा डुगडुगी बजवाकर अभियुक्तों के निवास स्थान ग्राम कालीजगदीशपुर में नोटिस चस्पा कराकर मुनादी करायी गयी, यदि फरार अभियुक्त समयावधि के भीतर माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होते हैं तो उनके विरुद्ध अग्रिम वैधानिक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

जनपद - संतकबीरनगर प्रेस विज्ञप्ति दिनॉक 13.04.2024

थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा 10 गुण्डा एक्ट में वांछित व जिलाबदर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, जिला बदर आदेश का उल्लंघन कर लुक छिप कर जनपद में कर रहा था निवास

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में जनपद में एनबीडव्ल्यू, वांछित, जिला बदर अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में क्षेत्राधिकारी मेंहदावल ***श्री राघवेन्द्र सिंह राठौर*** के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना बेलहरकला ***सुश्री सरोज शर्मा*** के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति / वाहन व गश्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर 10 गुण्डा एक्ट में वांछित व जिलाबदर घोषित किए गये अभियुक्त नाम पता बजरंगी पुत्र श्रीराम निवासी बनौली थाना बेलहरकला जनपद संतकबीरनगर को जनपदीय सीमा के अन्तर्गत उसके घर से जिलाबदर अवधि का उल्लंघन करते हुए गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया। उक्त गिरफ्तारी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 94/2024 धारा 10 उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1970 पंजीकृत किया गया।

विदित हो कि उक्त अभियुक्त को दिनांक 20.01.2024 को जिला प्रशासन द्वारा छः माह की अवधि के लिए जनपद सन्तकबीरनगर से जिलाबदर का आदेश दिया गया था। अभियुक्त को इस आदेश का तामिला भी आदेशोपरान्त करवा दिया गया था, उसके उपरान्त भी अभियुक्त जनपद की सीमा में लुक छिप कर निवास कर रहा था। जिलाबदर आदेश के उल्लंघन के क्रम में थाना बेलहकला पुलिस द्वारा उक्त अभियुक्त को आज दिनांक 13.04.2024 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

***गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण**-* व0उ0नि0 श्री रमेश कुमार यादव, हे0का0 दुर्गेश यादव, का0 अनिल कुमार यादव, का0 राहुल कुमार।

जनपद – संतकबीरनगर* *प्रेस विज्ञप्ति* *दिनाँक 13.04.2024

दबिश के दौरान 07 वारण्टी अभियुक्तगण गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर **श्री सत्यजीत गुप्ता** के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में ***थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस* द्वारा 07** वारण्टी नाम पता 1. सुशील वर्मा पुत्र गोपाल निवासी गोला बाजार 2. बडकू पुत्र तूफानी निवासी काजीपुर 3. नेकपाल पुत्र निवास निवासी बनरोहिया 4- अखिलेश पुत्र चुम्मन निवासी एकमा 5- ज्ञानमति पत्नी रामउजागिर निवासी एकमा 6- रामउजागिर पुत्र डीमिल निवासी एकमा 7- हरिराम पुत्र स्व0 चौथी निवासी माधौपुर थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री श्याम देव, उ0नि0 श्री राजीव सिंह, उ0नि0 श्री मनीष कुमार जायसवाल, उ0नि0 श्री संजय कुमार वर्मा, हे0का0 अनिल सिंह, हे0का0 नूरुद्दीन खां, हे0का0 सम्पूर्णानन्द यादव, का0 धनश्याम त्रिपाठी, का0 राजनारायण प्रजापति, का0 प्रदीप कुमार, का0 अनिल प्रताप, म0का0 प्रियंका कन्नौजिया।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 14 अभियुक्त गिरफ्तार

- *थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा* 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- *थाना धनघटा पुलिस द्वारा* 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 09 अभियुक्तों गिरफ्तार किया गया।
- *थाना मेहंदावल पुलिस द्वारा* 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- *थाना बखिरा पुलिस द्वारा* 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- *थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा* 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
-

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 3310 द्वारा दो पक्षों के विवाद में घायल 02 व्यक्तियों को भेजवाया गया अस्पताल– पीआरवी 3310 को थाना धनघटा क्षेत्रांतर्गत छपरा मगर्वी से इवेन्ट संख्या 446076 से कालर द्वारा दो पक्षों में किसी बात को लेकर विवाद की सूचना पर 02 व्यक्तियों (**1-राजकुमार पुत्र रामसुरेश 2- रामसुरेश पुत्र रामप्यारे निवासी छपरामगर्वी थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर**) के घायल होने के संबंध में सूचना दिया गया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर घायल व्यक्तियों को एंबुलेंश की सहायता से अस्पताल भेजवाया गया साथ ही घटना के सम्बन्ध में थाना धनघटा को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर घायल व्यक्ति को अस्पताल भेजवाकर उसकी जान बचाई गई, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई।

***पीआरवी स्टाफ-* आ0 विमल सिंह, हो0चा0 हर्षनाथ राय।**

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 101 वाहनों से 1,49,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 13.04.2024 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 101 वाहनों से 1,49,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

जनपद - संतकबीरनगर प्रेस विज्ञप्ति दिनॉक 13.04.2024

आज दिनांक 13.04.2024 को पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक सन्तकबीरनगर ***श्री शशिशेखर सिंह*** के मार्गदर्शन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में सन्तकबीरनगर पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य–

थाना धनघटा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने व दुष्कर्म करने के मामले मे वाँछित अभियुक्त व बाल अपचारी गिरफ्तार

जनपद में *मिशन शक्ति अभियान* के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत क्षेत्राधिकारी धनघटा ***श्री अजय सिंह*** के निकट पर्यवेक्षण में ***थाना धनघटा पुलिस द्वारा*** मु0अ0स0 773/2023 धारा 363/366/120बी भा0द0वि0 व बढोत्तरी धारा 376 भा0द0वि0 व 5/6 पाक्सो एक्ट के मामले मे वांछित अभियुक्त राघवेन्द्र पुत्र सोहन निवासी ग्राम अशरफपुर थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को उमरिया बाजार चौराहे से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि उक्त अभियुक्त द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर भगा ले गया था तथा दुष्कर्म की घटना कारित की गयी थी, जिसके संबंध में वादी द्वारा थाना स्थानीय पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना धनघटा पुलिस द्वारा महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही कर आज दिनांक 13.04.2024 को उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री आशुतोष मणि त्रिपाठी, हे0का0इन्द्रजीत यादव।

जनपद - संतकबीरनगर प्रेस विज्ञप्ति दिनॉक 13.04.2024

*आज दिनांक 26.02.2024 को पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर **श्री सत्यजीत गुप्ता** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक **श्री शशिशेखर सिंह** के मार्गदर्शन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में सन्तकबीरनगर पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य*–

थाना बखिरा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए गैर इरादतन हत्या के मामले में वांछित अभियुक्त व अभियुक्ता को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के मार्गदर्शन मे जनपद संतकबीरनगर मे अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत क्षेत्राधिकारी मेंहदावल ***श्री राघवेन्द्र सिंह राठौर*** के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष बखिरा ***श्री श्याम मोहन*** के नेतृत्व मे गठित टीम द्वारा आज दिनॉक 13.04.2024 को मु0अ0सं0 59/2024 धारा 323 / 304 / 506/504 भादवि मे वांछित अभियुक्त विश्वनाथ पुत्र स्व0 रामसुन्दर व अभियुक्ता लक्ष्मी उर्फ लक्ष्मीना पत्नी विजय निवासीगण खजुरी थाना बखिरा जनपद संतकबीनगर को उनके घर से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

1-विश्वनाथ पुत्र स्व0 रामसुन्दर निवासी खजुरी थाना बखिरा जनपद संतकबीनगर।

2-लक्ष्मी उर्फ लक्ष्मीना पत्नी विजय निवासी खजुरी थाना बखिरा जनपद संतकबीनगर।

***पंजीकृत अभियोग* –**

1- मु0अ0सं0 59/2024 धारा 323/504/506/304 भादवि।

विवरणः- प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 06.03.2024 को वादिनी किरन पत्नी मनोज निवासी खजुरी थाना बखिरा जनपद संत कबीर नगर के पति मनोज के साथ पारिवारिक विवाद को लेकर मारपीट की घटना कारित की गयी थी। जिसके उपरान्त थाना बखिरा पर प्राप्त तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया था। दौरान ईलाज दिनांक मजरुब की लखनऊ में मृत्यु हो गयी। प्रकरण की गंभीरकता को देखते हुए थाना बखिरा पुलिस द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए उक्त अभियुक्त व अभियुक्ता को आज दिनांक 13.04.2024 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री शम्भूराम, उ0नि0 श्री अमित कुशवाहा, हे0का0 अभयनन्दन, हे0का0 कामेश्वर सिंह, म0का0 रुचि खरवार व पीआरडी सुभाषचन्द।